रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25082020-221340
CG-DL-E-25082020-221340

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2535] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 25, 2020/भाद्र 3, 1942
No. 2535] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 25, 2020/BHADRA 3, 1942

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2020

का.आ. 2862(अ).—यत: आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अधीनस्थ कार्यालय में प्रकाशन नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली को नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में घोषित किया गया है और केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के निबंधनों के अनुसार प्रकाशन विभाग में कुछ समूह 'ख', समूह 'ग' और समूह 'घ' पदों (समूह 'ग' में मल्टी टास्किंग स्टाफ के रूप में पदोन्नत) के संबंध में अनुशासनिक प्राधिकारी और अपील प्राधिकारी की शक्तियां भी प्रदत्त की गई हैं।

और यत: प्रकाशन विभाग, दिल्ली में प्रकाशन नियंत्रक का पद तत्कालीन पदधारी की अधिवर्षिता पर सेवा निवृत्ति के परिणामस्वरूप 01 जून, 2015 से रिक्त हो चुका है और उसके कुछ और समय तक इस प्रकार रिक्त बने रहने की संभावना है ।

और यत: श्रीमती नीता तहिलियानी, उप सचिव (बजट), आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को प्रकाशन नियंत्रक का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है ।

और यत: प्रकाशन विभाग में प्रकाशन नियंत्रक के पद पर नियमित पदाधिकारी की अनुपस्थिति में प्रकाशन विभाग में सुचारू कार्य के लिए प्रकाशन नियंत्रक द्वारा प्रयोग के लिए नियुक्ति प्राधिकारी, अनुशासनिक प्राधिकारी और अपील प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए किसी की व्यवस्था करने की तत्काल आवश्यकता है ।

अब, इसलिए राष्ट्रपति, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 9 के उप-नियम (2) और नियम 12 के उप-नियम (2) के अनुसरण में, श्रीमती नीता तहिलियानी, उप सचिव (बजट), आवासन और

शहरी कार्य मंत्रालय को प्रकाशन विभाग में प्रकाशन नियंत्रक के पद पर नियमित रूप से भरे जाने तक या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, प्रकाशन विभाग में समूह 'ख', समूह 'ग' और समूह 'घ' पदों (समूह 'ग' में मल्टी टास्किंग स्टाफ के रूप में पदोन्नत) के संबंध में प्रकाशन नियंत्रक में निहित नियुक्ति प्राधिकारी, अनुशासनिक प्राधिकारी और अपील प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

[फा. सं. ए-12025/1/2012-पीबीएन]

सी. वी. सारदा, अवर सचिव

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi the 24th August, 2020

S.O. 2862(E).—Whereas, the Controller of Publications, Department of Publication, Delhi, a Subordinate Office of the Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India, New Delhi has been declared as the appointing authority and has also been conferred with the powers of disciplinary authority and appellate authority in respect of certain Group 'B', Group 'C' and Group 'D' posts (upgraded to Group 'C' as Multi Tasking Staff) in the Department of Publication, in terms of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965.

And whereas, the post of Controller of Publications in the Department of Publication, Delhi had fallen vacant on the 1st day of June 2015, consequent upon the superannuation of the then incumbent and is likely to be vacant for some more time.

And whereas, Smt. Neeta Tahiliani, Deputy Secretary (Budget), Ministry of Housing and Urban Affairs has been given additional charge of the Controller of Publications.

And whereas, there is an urgent need to make an arrangement to provide for the performance of the functions of the appointing authority, disciplinary authority and appellate authority hitherto exercised by the Controller of Publications for smooth functioning in the Department of Publication in the absence of a regular incumbent to the post of Controller of Publications in the Department of Publication.

Now, therefore, in pursuance of sub-rule (2) of Rule 9 and sub-rule (2) of Rule 12 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, the President is pleased to authorise Smt. Neeta Tahiliani, Deputy Secretary (Budget) in the Ministry of Housing and Urban Affairs to exercise the powers of the appointing authority, disciplinary authority and appellate authority vested in the Controller of Publications in respect of Group 'B', Group 'C' and Group 'D' posts (upgraded to Group 'C' as Multi Tasking Staff) in the Department of Publication till a regular appointment is made to the post of Controller of Publications, in the Department of Publication or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. A-12025/1/2012-PBN]

C. V. SARADA, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA